न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 41/18
तारीख दायरा :– 29.08.2018

प्रार्थी :–

1. मृत संगराम पुत्र अनाराम के कायम मुकाम
   1/1– खेताराम पुत्र संगरामजी
   1/2– कन्या पुत्री संगरामजी
   1/3– चौथी पुत्री संगरामजी

जातिगण–राईका निवासीगण–घाणेराव तहसील–देसूरी,जिला–पाली(राजस्थान)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

1. बाबुलाल पुत्र झालारामजी
2. सवाराम पुत्र झालारामजी
3. भोलाराम पुत्र लच्छारामजी
4. सवाराम पुत्र लच्छारामजी

जातिगण–राईका, निवासीगण– घाणेराव तहसील–देसूरी,जिला–पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील दिनेश कुमार माली।
2– अप्रार्थीगण की ओर से – वकील बादशाह अली पठान।

–: निर्णय :– दिनांक– 04/01/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2ए की सपठित धारा 151 सी.पी.सी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी के खसरा संख्या 2279 से 2282 कुल खसरा 04 कुल क्षेत्रफल 0.5800 हैक्टर की कृषि भूमि बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य वाद संख्या 06/2016 विचाराधीन है। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 14/16 में माननीय न्यायालय [illegible] व आर.आई. से तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2016 अनुसार मौके [illegible] की यथास्थिति वाद के निर्णय तक यथावत रखी जाने के आदेश दिनांक [illegible].2017 को दिये गये है जो आज भी प्रभावी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना में भू.अ.नि. देसूरी व पटवारी घाणेराव की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे में स्थित खसरा संख्या 2279, 2281, 2282 कुल रकबा 0.44 हैक्टर स्थित थी, जिसके चारों तरफ तारबंदी, कांटो की बाड की हुई थी व प्रार्थीगण का कब्जा रहवासी मकान बना हुआ है। जिसमें अप्रार्थीगण को अनाधिकृत प्रवेश करने, तोडफोड करने, प्रार्थी के साथ मारपीट करने इत्यादि के कोई हक–अधिकार नहीं था और माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना में अप्रार्थीगण मौका रिपोर्ट अनुसार यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद थे।

यह कि अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय आदेश की जानकारी होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय आदेश की जानबुझकर अवहेलना करते हुए दिनांक 12.11.2017 को प्रर्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2279, 2281, 2282 के माठ की तारबंदी तोड दी, पीलर हटा दिये तथा प्रार्थीगण के काश्त में व्यवधान उत्पन्न किया एवं लाठियों से जानलेवा हमला किया, ट्रेक्टर को कृषि भूमि से बाहर करने लगे, प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया, मरणासन्न की स्थिति में चला गया इत्यादि अप्रार्थीगण व इनके पारिवारिक सदस्यों, पुत्रो, पुत्रियों, पत्नीयों द्वारा कारित आपराधिक घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना देसूरी में पेश की गई थी। जिस पर मुकदमा संख्या 166/2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अनुसंधान अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 427, 324, 325, 307/34 भा.द.स. में आरोप पत्र पेश किया गया है जो मुकदमा माननीय अपर सेशन न्यायालय बाली केम्प देसूरी में सेशन केस नम्बर 5/2018 तारीख पेशी 12.11.2018 में विचाराधीन है। प्रमाण स्वरूप प्रतिलिपियां पेश है।

अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना हेतु पाबंद थे, फिर भी अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.05.2017 की जानबुझकर अवहेलना की प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने से रोकते हुए तारबंदी तोड दी, जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थीगण के पिता के साथ भी मारपीट की, जिससे व भी बीमार होकर सदमे में रहने लगे व घटना के मात्र 03 माह के लगभग [illegible] निधन हो गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का कृत्य माननीय न्यायालय के [illegible] दिनांक 18.05.2017 की अवहेलना हेतु दण्डित किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के ओदश

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

दिनांक 18.05.2017 की अवहेलना करते हुए दिनांक 12.11.2017 को किए गये कृत्य के लिए दण्डित किया जावे, तारबंदी को तोडने इत्यादि से हुए हर्जे खर्चे के लिए एक लाख रूपये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर वकील बादशाह अली पठान ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब का अवसर बंद करते हुये वकील अप्रार्थी लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.03.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। न्यायालय द्वारा पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वाद संख्या 6/2016 के निर्णय तक इस वाद के साथ संलग्न पत्रावली राजस्व विविध संख्या 14/2016 में दिनांक 18.05.2017 को आदेशित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2279 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा संख्या 2280 रकबा 0.1400 हेक्टर, खसरा संख्या 2281 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 2282 रकबा 0.0500 हेक्टर कुल रकबा 0.5800 हेक्टर भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि की मौके एवं रिकॉर्ड की मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखी जावें। जो आदेश अन्तिम रहा है। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अपील करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। जिससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया गया आदेश दिनांक 18.05.2017 आज भी प्रभावी है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से मौका फर्द दिनांक 15.11.2016, पुलिस थाना देसूरी द्वारा मुकदमा नम्बर 166/2017 में प्रस्तुत चार्जशीट एवं अपराध विवरण मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2017 के प्रभाव में रहते पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के कब्जा की भूमि खसरा नम्बर 2279, 2281, 2282 कुल रकबा 0.4400 हेक्टर में दिनांक 12.11.2017 को तारबंदी तोडने व पिलर हटाने और प्रार्थी के [illegible] करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मौका स्थिति में [illegible] किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र पुलिस द्वारा पेश किया गया है जो केस सेशन न्यायालय में विचाराधीन है। न्याय की प्राप्ति हेतु न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना सुनिश्चित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि मौजा गांव घाणेराव के खसरा नम्बर 2279, 2281, 2282 कुल रकबा 0.4400 हेक्टर की वादग्रस्त भूमि में मौका फर्द दिनांक 15.11.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण अपने स्वयं के खर्चे से तारबंदी एवं पिलर यथावत करें एवं दण्ड स्वरूप अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को रूपये अक्षरे दस हजार हर्जाने के रूप में एक माह की अवधि में अदा करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 04/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:04 IST
Reason: SelfAttested